

प्रेषक,

अजीज अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ

दिनांक: 05 नवम्बर, 2024

विषय- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों (Working Professional) के प्रवेश हेतु नीति निर्धारण।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49799/ई-ए0आई0सीट0टी0ई0 (अंशकालीन), दिनांक 08.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव/संस्तुतियाँ प्रेषित करते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कामगारों (Working Professional) के प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की वर्तमान अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, अर्थव्यवस्था को 1.0 ट्रिलियन बनाने एवं उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों (Working Professional) को ए0आई0सी0टी0ई0 के सर्कुलर संख्या-AICTE/P&AP/APH/2023-24/02, दिनांक 24.08.2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत राजकीय/अनुदानित/निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या-2103/सोलह-प्रा0शि0-3-2012, दिनांक 31.10.2012 व शासनादेश संख्या-2707/16-प्रा0शि0-3-2012-15(9)/2012, दिनांक 25.02.2013 की व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों (Working Professional) के लिए प्रवेश हेतु नीति

पाठ्यक्रम का नाम- तीन वर्षीय (अंशकालीन) डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम (वर्किंग प्रोफेशनल हेतु)

पाठ्यक्रम: लेटरल इन्ट्री में लागू पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम की अवधि : 03 वर्ष

पाठ्यक्रम की संख्या- प्रति संस्थान अधिकतम 03 पाठ्यक्रम

प्रवेश क्षमता प्रति पाठ्यक्रम- 30 (AICTE मानकानुसार)

पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या- प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक तिहाई संख्या में प्रवेश अनिवार्य होगा।

अहर्ता:

- (i) शैक्षिक अहर्ता: तीन वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शैक्षिक अहर्ता यथा- हाईस्कूल/आईटीआई (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण
- (ii) अनुभव: कम से कम 01 वर्ष का औद्योगिक अनुभव

प्रवेश के लिए पात्रता:

केन्द्र/राज्य सरकार के उद्योगों, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं एमएसएमई पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदित संस्था से 50 किमी त्रिज्या में स्थित हो।

मेरिट का निर्धारण:

- हाईस्कूल/समकक्ष- प्रथम श्रेणी- 50 अंक
द्वितीय श्रेणी-40 अंक
तृतीय श्रेणी- 30 अंक
इण्टरमीडिएट/आईटीआई- 10 अंक

अनुभव: 01 वर्ष से अधिक 02 वर्ष से कम- 10 अंक
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 30 अंक

अधिकतम अंक- 100

प्रवेश प्रक्रिया

- 1- प्रदेश के समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में उद्योगों केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/एमएसएमई में पंजीकृत, उद्योगों के ऐसे कार्मिकों/कामगारों (Working Professional) को जो पूर्णकालिक रूप से कम से कम 01 वर्ष से उद्योग में कार्यरत हों तथा एआईसीटी द्वारा निर्धारित मानकों/शैक्षिक अहर्ता को पूर्ण करते हो, के लिए प्रवेश मेरिट के आधार पर एआईसीटी के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। ये सीटें अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी, जिनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जायेगा तथा कक्षायें अतिरिक्त समय (सायं काल एवं साप्ताहिक अवकाश/अवकाश) में संचालित की जायेगी।
- 2- वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में सम्बन्धित पालीटेक्निक संस्था द्वारा इच्छुक कामगारों/आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी करेगी तथा प्रवेश समिति का गठन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के संबंधित प्रतिष्ठान को सूचित किया जायेगा।
- 3- आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 से सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विज्ञापन, माह अप्रैल में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित कराया जायेगा।
- 4- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र माह मई में सम्बन्धित संस्था द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे तथा संस्था द्वारा इसकी विज्ञप्ति निःशुल्क दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
- 5- सम्बन्धित संस्था द्वारा जून माह में प्रवेश समिति का गठन किया जायेगा, जो प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के संबंधित प्रतिष्ठान को सूचित किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि 15 अगस्त होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में उपर्युक्त पाठ्यक्रम स्व वित्तपोषित आधार पर चलाया जायेगा।

7- पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

8-पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण होने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा।

9- प्रवेश हेतु समय-समय पर ए0आई0सी0टी0ई0 प्रोसेस हैण्डबुक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

फैकेल्टी की उपलब्धता:

वर्तमान में संस्थाओं में कार्यरत फैकेल्टी/अतिथि फैकेल्टी के माध्यम से पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जैसा कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा भी वर्ष 2024-25 के एपूरवल प्रोसेस हैण्डबुक में भी उल्लिखित किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजीज अहमद
विशेष सचिव।

संख्या व तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. सदस्य सचिव, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली को उनके सर्कुलर संख्या-AICTE/P&AP/APH/2023-24/02, दिनांक 24.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।(द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
11. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान, उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा)
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।